

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त



उत्तरांचल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-10, डिफेंस कालोनी, देहरादून

फोन : (0135) 2666778 / 2666779

फैक्स :

ई-मेल : rs_tolia@rediffmail.com

पत्रांक : 75/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005

दिनांक : 20 दिसम्बर 2005

श्री डी.के. कोटिया

सचिव, सूचना

उत्तरांचल शासन

18 अक्टूबर, 2005 को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त मेरे द्वारा आयोग को गतिमान करने के दृष्टिकोण से निम्न बिन्दुओं पर शासन से अनुरोध किया जा चुका है :

1. **17.11.2005**

- 1.1 पूर्णकालिक अपर सचिव/ उप सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती
- 1.2 आयोग के भवन के संबंध में निर्णय (कार्यवाही पूर्ण)
- 1.3 आयोग के स्टाफ के संबंध में शासनादेश और बजट शीर्ष (आंशिक रूप से पूर्ण)
- 1.4 पूर्णकालिक सचिव की तैनाती
- 1.5 सूचना विभाग के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग घोषित करना

2. **25.11.2005**

- 2.1 कम्प्यूटर, फोटोकापीयर इत्यादि (आंशिक रूप से पूर्ण)

3. **3.12.2005**

- 3.1 पूर्णकालिक सचिव की तैनाती में हो रहे विलम्ब के निराकरण के लिए वरिष्ठ अपर सचिवों में से और अन्य सेवाओं से भी अधिकारी की तैनाती पर विचार

4. **6.12.2005**

- 4.1 देहरादून के राज्य के एक कोने में स्थित होने के कारण आवेदनकर्ताओं की सुविधा की दृष्टिकोण से आयोग के अल्मोड़ा (कुमायूँ के समस्त जनपद) तथा श्रीनगर (दूरस्थ गढ़वाल जनपद) में कार्यलयों की स्वीकृति दिया जाना

5. **7.12.2005**

- 5.1 आयोग के निगरानी और रिपोर्ट संबंधी उत्तरदायित्वों के परिप्रेक्ष्य में शोध मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रभाग को सृजित करने और उसके लिए स्टाफ की स्वीकृति.

6. पूर्ववर्ती प्रस्तरों में जिन अनुरोधों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है उसे कोष्ठक में अंकित कर दिया गया है. इन सभी पत्रों की छाया प्रति पुनः इस आशय से संलग्न की जा रही है जिससे आयोग के द्वारा किये गये अनुरोधों के संबंध में यदि पूर्व प्रेषित पत्र तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हों तब इस पत्र के साथ संलग्न पत्रों के आधार पर उनका प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कृपया निर्देश देने का कष्ट करें. इन पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि इनके द्वारा प्रेषित किये गये अनुरोधों के क्रियान्वयन के अभाव में अब आयोग का कार्य निश्चित रूप से गतिरोध की स्थिति में आ रहा है.

इस समय आयोग के पास मात्र एक निजी सचिव के अतिरिक्त स्टाफ में अन्य कोई भी सहायक स्टाफ उपलब्ध नहीं है। आयोग का प्रमुख कार्य प्राप्त पत्रों, शिकायतों, संदर्भों और अपीलों का निस्तारण है। अतः वर्तमान स्थिति में जहाँ एक ओर कार्यालय के संचालन में कठिनाई आ रही है वहीं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा आशुलेखन के टंकण, पत्रजातों की प्राप्ति, निर्गतीकरण में भारी गतिरोध और विलम्ब उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त निजी सचिव के अतिरिक्त कार्यालय में मात्र 3 अनुसेवकों के अतिरिक्त कोई भी सहायक स्टाफ विद्यमान नहीं है। आयोग को अवश्य ही एक आंशिक रूप से लेखाकार की सहायता दी गई है जो सूचना निदेशालय से ही अपना कार्य करते हैं।

7. यह देखते हुए कि मुख्य सूचना आयुक्त को कार्यभार ग्रहण किये हुए लगभग 2 माह का समय हो चुका है अतः उचित होगा कि सूचना विभाग नोडल विभाग के रूप में इन सभी प्रेषित पत्रों पर वरीयता एवं दैनिक अनुश्रवण के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करे।
8. वर्तमान स्थिति को मुख्य सचिव के प्रसंज्ञान में भी इस आशय से लाया जा रहा है जिससे कि यदि सूचना विभाग के स्तर पर कोई कठिनाई हो तो उसे वह मुख्य सचिव के प्रसंज्ञान में लाकर निस्तारण कराने का प्रयास करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार.

भवदीय,

(आर. एस. टोलिया)

प्रतिलिपि

श्री एम. रामचन्द्रन, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को संलग्नकों सहित इस आशय से कि वह सूचना सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह राज्य सरकार द्वारा जिन पदों को भरा जाना है वह इन पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा किये गये संदर्भों के क्रम में भी विचार कर लें क्योंकि अब तक जो प्रयास स्वयं संबंधित विभाग द्वारा किये गये हैं वह कुछ प्रभावी सिद्ध नहीं हो सके हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार.

(आर. एस. टोलिया)

मुख्य सूचना आयुक्त